कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांकः–27.02.2015

:: आदेश :

निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.1.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड–डे मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा–जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व आदेशानुसार ही होगा।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, विद्यालय भवन के विकास करने सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) द्वारा किये जायेंगे, साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन/लेखा जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व निम्न प्रकार है–

(अ) School Development and Management Committee (SDMC) की सरंचना

(RMSA गाइडलाइन के अनुसार School Management and Development Committee)

1.	**प्राचार्य/प्रधानाध्यापक**	**अध्यक्ष**
2	अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय का एक व्यक्ति	सदस्य
3	अभिभावकों में से एक महिला	सदस्य
4	अभिभावकों में से एक व्यक्ति	सदस्य
5	सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
6.	विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
7	गणित का एक अध्यापक	1 सदस्य
8	पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य	2 सदस्य
9	(ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक) *	1 सदस्य
10	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति	1 सदस्य
11	महिला समूहों का सदस्य	1 सदस्य
12	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्	1 सदस्य
13	विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति)	3 सदस्य
14	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	1 सदस्य
15	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	सदस्य सचिव

* विद्यालय द्वारा नोन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जावे।

SDMC के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(1) विद्यालय की ''विद्यालय सुधार योजना'' तैयार करना।

(2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्न उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करनाः–

  (i) कक्षा 9–10 का सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक **90%** तक लाना।

  (ii) कक्षा 11 एवं 12 की सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक **65%** तक लाना।

  (iii) माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर **25%** से नीचे लाना।

  (iv) विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास, विद्यालय में आईसीटी का उपयोग, समुदाय की सहभागिता आदि सुनिश्चित करना।

(3) समिति द्वारा आरएमएसए के खाते में प्राप्त राशि का रिकार्ड संधारण करना।

(4) समिति अपने कोष का उपयोग रैकरिंग एवं नॉन रैकरिंग मदों में कर सकेगी।

(5) समिति भारत सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।

(6) समिति द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिये सभी गतिविधियों की योजना बनाना, यू–डाइस का डेटा एकत्रित करना, योजना की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग आदि का कार्य करेगी

(7) विद्यालय स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य, तथा शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु संबंधित सभी कार्य करेगी

(8) कमेटी की प्रत्येक मीटिंग में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जायेगा।

(9) समिति सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से ब्लॉक व जिले के अधिकारियों को प्रेषित करेगी।

(10) समिति की पाक्षिक बैठक रखी जायेगी।

(11) समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को लिखित में सूचित किया जावेगा।

(12) बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेनदेन नहीं किया जायेगा।

नोटः–राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एसएमसी का राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय,(प्रारम्भिक शिक्षा अनुभाग) के नाम से पुर्नगठन कर बैंक में विद्यालय का नाम संशोधित कराया जायेगा। SMC के कार्य एवं दायित्व पूर्वानुसार ही होंगे।

(ब) विद्यालय भवन उप समिति(School Building Commitee) की सरंचना

1.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक	**– अध्यक्ष**
2.	पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि	– 1 सदस्य
3.	अभिभावक	– 1 सदस्य
4.	निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति(**JEN,RMSA/SSA**)	– 1 सदस्य
5.	(लेखा / ऑडिट शाखा का व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक)*	– 1 सदस्य
6.	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	–सदस्य सचिव

* विद्यालय द्वारा नोन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ / डीपीसी कार्यालय के लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जावे।

भवन उप समिति के कार्यः–भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, उनके प्रबन्ध संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होगी जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जायेगी।

यह समिति निर्माण कार्यो को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करा सकेगी अथवा स्वयं करा सकेगी।

(स) शैक्षिक उप समिति(School Academic Commitee) की सरंचना

1.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक	**– अध्यक्ष**
2.	अभिभावक	– 1 सदस्य
3.	निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ– (1)विज्ञान या गणित, (2)मानविकी, (3)कला / संस्कृति / क्राफ्ट / खेलकूद आदि प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ	– 3 सदस्य
4.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित विद्यार्थी	– 1 सदस्य
5.	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	–सदस्य सचिव

शैक्षिक उप समिति के कार्यः–

(i) शैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन

(ii) शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्टस की समीक्षा एवं सुझावों को परीक्षण पश्चात आगामी कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु अनुशंषा।

(iii) शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन

3

(iv) शैक्षिक समंकों का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में संबलन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करना।

(v) मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टस की समीक्षा एवं फॉलोअप कार्यवाही हेतु सुझाव

वर्णित आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांकःप. 17(4) शिक्षा–1/2014 जयपुर दिनांक 26.02.2015 के अनुसरण में जारी किये जाते है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. अतिरिक्त आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु
8 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
10. वरिष्ट सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11 रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर